

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 163/2010

संस्थित दिनांक-30.03.2010

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

फरार-.....

1. लतीफ खां पुत्र सिद्धार खां उम्र 51 साल
निवासी- डिरमन पाली गोहद
2. शेर खां पुत्र सिद्धार खां उम्र-42 साल
निवासी- डिरमन पाली गोहद
3. मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल गफूर उम्र-43 साल
निवासी- ग्राम खितौली, थाना गोहद, भिण्ड
4. गुलाम रसूल पुत्र अकबर उम्र- 28 साल
निवासी- ग्राम खितौली, थाना गोहद, भिण्ड
5. कासिम खां पुत्र जाकिर खां उम्र- 26 साल
निवासी- ग्राम खितौली, थाना गोहद, भिण्ड
6. शहजाद खां उर्फ पप्पू पुत्र शखू खां उम्र 41 साल
निवासी- ग्राम खितौली, थाना गोहद, भिण्ड, म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 15.02.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर म०प्र० गोवंश वध प्रतिषेध अधि० 2004 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सहपठित धारा 4 व 5 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25-26 जनवरी, 2010 की दरमियानी रात फरियादी छविराम राठौर के खेत स्थित दाने बाबा के पास में एक गाय जो कि गौवंश की श्रेणी में आती है, उसका वध करने का अपने सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रशरण में गौ वध कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने गौ वध कर उसके पश्चात् उसका मांस (BREEF) को अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रख कर अपराध कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मुहम्मद सलीम के अनुपस्थित रहने से उसे दिनांक 20.06.2016 को फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया गया। शेष अभियुक्तगण के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी छविराम राठौर द्वारा दि. 26.01.10 को थाना गोहद में मय राकेश राठौर, दाताराम राठौर व महेश कांकर के साथ सूचना दी कि वह

सुबह 7-8 बजे अपने खेत पर गया, वहां पर देखा कि एक गाय के शरीर के अवयव और कुछ खाल पड़ी थी, जिससे खून लगा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे काटा होगा। उक्त सूचना से थाना गोहद के अपराध क्रमांक 31/10 पर प्राथमिकी पंजीबद्ध की गई। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। जप्तशुदा खाल की शव परीक्षण जांच कराई गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, मेमोरेण्डम लिया गया, जांच पत्रक तैयार कर जप्ती की गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 25-26 जनवरी, 2010 की दरमियानी रात को फरियादी छविराम राठौर के खेत स्थित दानेबाबा के स्थान पर गाय का वध किया गया?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त गाय जो कि गौ वंश की श्रेणी में आती थी, उसका वध करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रशरण में उसका वध कारित किया?
3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त गाय का वध कर उसका मांस(BREEF) अपने ज्ञान युक्त आधिपत्य में रखा?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राकेश राठौर अ०सा० 1, छविराम राठौर अ०सा० 2, महेश अ०सा० 3, अनिल आर्य अ०सा० 4, रमेश राठौर अ०सा० 5, मनीष अ०सा० 6 एवं के०एस० तोमर अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गई।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. फरियादी छविराम राठौर अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 26.01.2010 की है, वे अपने खेत पर गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय की खाल और उसके कान तथा खून पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद वे लोग थाने चले गए। साक्षी के साथ राकेश, दाताराम और महेश का होना बताता है। रिपोर्ट प्र०पी० 2 किए जाने तथा उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। घटना स्थल का नक्शामौका बनाए जाने और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। प्रकरण में साक्षी राकेश अ०सा० 1, महेश अ०सा० 3 को घटना का साक्षी बनाया गया है।

उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि दिनांक 26.01.2010 को उन्होंने फरियादी छविराम राठौर के खेत में एक गाय की खाल व पूंछ देखी थी और इसके बाद थाने में रिपोर्ट की थी। शेष तथ्यों के संबंध में साक्षीगण समर्थन नहीं करते हैं।

8. प्रकरण में रमेश राठौर प्रस्तुत किया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनके भाई छविराम के खेत में सात साल पहले वर्ष 2010 में पुलिस ने गाय की खाल को जप्त किया था। इस प्रकार से यह साक्षी भी छविराम के खेत में गाय की खाल पाए जाने के संबंध में समर्थन करता है। मनोज अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि वर्ष 2010 में एक मामले में गाय की खाल जप्त हुई थी, जिसे थाना प्रभारी द्वारा थाने के परिसर में पीछे गड़ड़ा खोदकर दफनाया था, जिसका पंचनामा प्र०पी० 8 बनाए जाने और उस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अनिल अ०सा० 4 भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि उनके समक्ष अभिकथित गाय के अंश को दफनाया गया था। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से दिनांक 26.01.2010 को फरियादी छविराम के खेत में गाय का अंश एवं उसकी खाल मिलने का कथन किया गया है और अनुसंधान के दौरान उसे दफजाए जाने के संबंध में प्र०पी० 8 का दस्तावेज भी प्रमाणित किया गया है। प्रथम दृष्टया अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य को अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 26.01.2010 को फरियादी छविराम के खेत में एक गाय जो गौ वंश की श्रेणी में आती थी, उसके शरीर का अंश व खाल पाई गई। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त गौ वंश का वध कारित किया गया और अपने ज्ञान युक्त आधिपत्य में उसका मांस अपने पास रखा।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 व 03

9. प्रकरण में छविराम राठौर अ०सा० 2, राकेश अ०सा० 1, महेश अ०सा० 3 एवं अन्य किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को अभिकथित गाय का वध करते हुए और उसके मांस को ले जाते हुए देखने का कथन नहीं किया गया है। साक्षी महेश कुमार अ०सा० 3 ने अपने सूचक प्रश्नों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्हें उदयभान माहौर ने बताया था कि सुबह 26.01.2010 को बकरी ढूढ़ने गए तो उस समय छवि राम के खेत में शेर खां, लतीफ खां, सलीम खां गाय को काटकर खाल साफ कर रहे थे एवं उसे देख कर मांस व खाल साईकिलों पर लेकर भाग गए थे। उक्त साक्षी द्वारा स्वयं चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियुक्तगण की संलिप्तता का कथन नहीं किया गया है, बल्कि साक्षी उदयभान माहौर के बताए अनुसार जानकारी होना बताया गया है। ऐसे में यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार करता है कि उसने उक्त व्यक्तियों को गाय काटते हुए नहीं देखा और न ही खाल उतारते हुए देखा था। यहां तक कि साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने घटना स्थल पर पड़ी हुई नहीं देखी। ऐसे में इस साक्षी की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर कोई

निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। उदयभान माहौर को अभियोजन द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसे में अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई भी चछुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और जो अनुश्रुत साक्षी हैं, वे अभिपुष्ट नहीं हैं।

10. प्रकरण में चछुदर्शी साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन उक्त साक्ष्य में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के सुसंगत श्रृंखला के रूप में प्रमाणित किए जाने हेतु आवश्यक है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के०एस० तोमर अ०सा० 7 यह कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 03.02.2010 को संबंधित केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने उक्त दिनांक को अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 9 बनाया था, जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त सलीम का समक्ष साक्षीगण धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन लिया था, जिसमें उसने घटना दिनांक को शेन खां, लतीफ खां, कासिम, गुलाम और पप्पू के साथ मिलकर गाय के पैर में रस्सी बांधकर उसे गिराने और फिर उसकी गर्दन काट देने का कथन करना बताते हैं। उक्त गाय में करीब 40 किलोग्राम मांस(BREEF) निकला था, जिसे उक्त अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण द्वारा बराबर बांट लेने के संबंध में कथन करना बताते हैं। उसके हिस्से में मिले मांस(BREEF) को बेच देने तथा लोहे का बका व छुरी छत पर छिपा देने के संबंध में कथन किया गया है। अभियुक्त सलीम के ज्ञापन प्र०पी० 6 के रूप में बताते हुए उसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त द्वारा घर ग्राम खितौला से एक लोहे का बका, जिसकी लंबाई 7 अंगुल और फन की चौड़ाई 4 अंगुल, कुछ लंबाई 3 अंगुल व मुट्ठी में 3 छेद होने का कथन करते हुए जप्ती पंचनामा प्र०पी० 4 बनाए जाने का कथन किया गया है। साक्षी द्वारा पुनः अभियुक्त का ज्ञापन लेने पर छुरी, जिससे गाय काटी गई वह सरसों के खेत में जमीन में गाढ़ देने के संबंध में कथन करने का तथ्य बताते हैं और उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त के बताए स्थान से छविराम राठौर के खेत से एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 7 कुल लंबाई 11 अंगुल तथा चौड़ाई 2 अंगुल जप्त कर जप्तीपत्रक प्र०पी० 4 बनाये जाने का कथन करते हैं और उक्त पंचनामा पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभियुक्त सलीम के मेमोरेण्डम के आधार पर शेष अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता पाए जाने का कथन करते हैं। चूंकि अभियुक्त सलीम प्रकरण में फरार है, ऐसे में उसके प्रति आई साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सह अभियुक्तगण के संबंध में प्रश्न है तो अभियुक्तगण के आधिपत्य से न तो अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई भी संपत्ति जप्त की गई है और न ही उनके पास से कोई भी गौ वंश अर्थात् गाय के अंश को बरामद किया गया है।

11. न्यायालय का ध्यान धारा 27 के ज्ञापन प्र०पी० 5 व 6 की ओर आकर्षित होता है, जिसमें अभियुक्त सलीम से जानकारी प्राप्त कर तथ्य की खोज अर्थात् बका व छुरी जप्त किए जाने के संबंध में अनुसंधानकर्ता द्वारा कथन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 26 यह उपबंधित करती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त की की गयी संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना – “कोई भी संस्वीकृति जो व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजि० की साक्षात उपस्थिति में न की गयी हो।”

इस सिद्धांत के अपवाद सवरूप धारा 27 में उपबंधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी। “परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी। इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चले तथ्य के संबंध में ली गई जानकारी साक्ष्य में सुसंगत है, किन्तु प्रकरण में केवल सलीम से अभिकथित जानकारी व कथितरूप से बका एवं छुरी के तथ्य पता चलने और जप्ती होने के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। सह अभियुक्तगण के संबंध में अभियुक्त सलीम से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही किया जाना लेख है।

12. न्यायालय का ध्यान न्यायादृष्टांत **PAPPU ALIAS MOHAMMAD ZALIL AND ANOTHER VS. STATE OF MADHYA PRADESH 2001 CRLJ 875 MP : 2000(2) J.L.J.391** की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि—

“6. So far as the merit of this case is concerned, the State itself has admitted in the reply filed by it that the only evidence against the petitioners is to be found in the statement of co-accused Tahir Ali recorded under Section 27 of the Indian Evidence Act. I am of the view that the provisions of Section 27 of the Indian Evidence Act are appended by way of a proviso to Section 26 dealing with the confession of an accused while in police custody, which has no evidentiary value. Sec. 27 of the Indian Evidence Act carving out a proviso to Sec. 26 deals with a fact deposed to as discovered in consequence of the information received from a person accused of an offence, in the custody of a Police Officer, and only so much of that information is relevant and may be proved which relates distinctly to the fact thereby discovered. Naturally, the fact discovered on the information of such person shall be relevant and may be proved against that person, obviously because such fact is discovered on the information given by that person. Therefore, apparently, such a discovered fact cannot be used and proved against any other person, meaning thereby that it would not be treated as an evidence against any other person.”

इस प्रकार से उपरोक्त न्यायादृष्टांत के प्रकाश में सह अभियुक्त के द्वारा पता चले किसी तथ्य के संबंध में प्राप्त जानकारी अन्य सह अभियुक्तगण के संबंध में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखती है।

अभियुक्तगण के संबंध में न तो चछुदर्शी साक्षी और न ही परिस्थिति जन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि फरियादी छविराम के खेत में गौ वंश गाय का वध कर उसके अंश मांस(BREEF) को अपने आधिपत्य में रखा। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगण की अपराध से संबंधता प्रमाणित नहीं करती है।

13. न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25-26 जनवरी, 2010 की दरमियानी रात फरियादी छविराम राठौर के खेत स्थित दाने बाबा के पास में एक गाय जो कि गौवंश की श्रेणी में आती है, उसका वध करने का अपने सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रशरण में गौ वध कारित किया तथा गौ वध कर उसके पश्चात् उसका मांस(BREEF) को अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रख कर अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण को म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधि० 2004 की धारा 9 सहपठित धारा 4 व 5 दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के प्रतिभूति पत्र निरस्त किए जाते हैं। द०प्र०सं० की धारा 437-ए के अधीन प्रस्तुत बंधपत्र उनके निवेदन पर 6 माह के लिए विस्तृत किए जाते हैं।

15. जप्तशुदा संपत्ति फरार सह अभियुक्त के संबंध में निष्कर्ष उपरांत निराकरण हेतु आदेशित किया जाएगा।

16. प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल गफूर उम्र-43 साल, निवासी- ग्राम खितौली, थाना गोहद, भिण्ड फरार है। अतः मुख्य पृष्ठ पर लाल सियाई से अभिलेख को सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश